



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-3100/MP/84/2024-ESDW (RU-1)

दिनांक: 20.12.2024

श्री जी. कृष्णकुमार,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
भारत भवन, 4 और 6 करिमभोय रोड,
बलार्ड एस्टेट, मुंबई, महाराष्ट्र -400001
ई-मेल : cmd@bharatpetroleum.in

विषय: भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) की अत्यधिक विलंबित प्रक्रिया के संबंध में श्री राहुल पवार, 101, नाकोड़ा अपार्टमेंट, स्कीम नंबर-71, जिला-इंदौर, मध्य प्रदेश से दिनांक निरंक का अभ्यावेदन।

संदर्भ 1: आयोग का संसंख्यक नोटिस दिनांक 09.08.2024 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 07.01.2025 को अपराह्न 03:00 बजे सिटिंग निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(एच. आर. मीना)

अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: rk.dubey@ncst.nic.in

दूरभाष: 011-24615012

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री राहुल पवार,
101, नाकोड़ा अपार्टमेंट,
स्कीम नंबर-71,
जिला-इंदौर, मध्य प्रदेश